प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
महानिदेशालय परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–प0क0/08–प्रशि/136–3/vol–9/2013–14/2622–75 दिनांकः 14/.08.2013

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 हेतु आशा प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। शासनादेश सं0 1867/5–9–2005–9(277)/84 दिनांक 8 जून 2007 एवं सं0 1867(1)/5–9–2005–9(277)–4 दिनांक 20 जून 2007 के अनुसार एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित गतिविधियों में आशाओं को उनके द्वारा किये गये कार्यो हेतु प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

2. वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिये स्वीकृत धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निम्नवत् संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं। भारत सरकार को वर्ष 2013–14 हेतु प्रेषित राज्य कार्य योजना (पी0आई0पी0) में 6 मदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, स्वीकृत मदों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रू0)
1	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर प्रसव पूर्व देखभाल हेतु अपने क्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाओं व बच्चों कों (ड्यू लिस्ट के अनुसार) लाने हेतु	50
2	किसी भी गर्भवती को गर्भावस्था में उत्पन्न जटिलता की किसी स्थिति में चिकित्सालय तक पहुँचाने के लिये (प्रति केस)	150
3	मृत्यु पंजीकरण (प्रति आशा 9 केस की दर से)	20
4	आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय (प्रति बैठक प्रति माह)	100
5	ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर को अद्यतन रखने पर (प्रति आशा), यह धनराशि VHSNC के अनटाइड फण्ड रू.10000 से दिया जाना है।	750

3. 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार जिले में लक्षित आशाओं हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त मदों मे से ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस एवं मातृ–मृत्यु की सूचना मद में धनराशि राज्य कार्यकारणी समिति के अनुमोदनोपरान्त अवमुक्त की जायेगी। उपर्युक्त तालिका के अनुसार आशाओं के लिये निर्धारित संलग्न बाउचर प्रस्तुत करने पर उनके खाते में बैंक एडवाइस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से धनराशि स्थानान्तरित की जाय। उपरोक्त तालिका में बिन्दु 4 पर उल्लेखित मद मे इस वर्ष भारत सरकार द्वारा केवल मृत्यु पंजीकरण हेतु स्वीकृत किया गया है। जन्म पंजीकरण को गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल के अर्न्तगत सम्मिलित कर लिया गया है। उपरोक्त तालिका में बिन्दु 6 मे ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर को अद्यतन रखने पर VHSNC अनटाइड फण्ड रू.10000 से दिया जायेगा यह प्रतिपूर्ति धनराशि सूचकांक रजिस्टर के अद्यतन स्तर को सम्बन्धित ANM द्वारा सत्यापित किये जाने के उपरान्त VHSNC द्वारा देय होगा।
उपरोक्त मदों के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि का प्रावधान हैं जिसके विस्तृत दिशा–निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जा रहें है।

4. **आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा निर्देश**

1. आशाओं को मिशन फ्लैक्सीपूल मद में अनुमोदित गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिये वाउचर प्रणाली लागू है, जिसका संशोधित प्रारूप संलग्न है। आशाओं की मासिक बैठक के दौरान आशाओं से ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित वाउचर की प्रति जमा करायी जाय। बैठक में जमा किये गये वाउचर के अनुरूप बैंक एडवाइस के माध्यम से आशाओं द्वारा किये गये कार्यो के अनुरूप प्रतिपूर्ति के रूप में योजना एवं कार्यक्रमों के अनुरूप प्रतिमाह सम्बन्धित आशाओं के खाते में इलैक्ट्रॉनिक विधि से धनराशि स्थानान्तरित की जाय।

3. बैंक एडवाइज द्वारा स्थानान्तरित की गयी धनराशि के विवरण की प्रति सम्बन्धित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नोटिस बोर्ड पर आशाओं की जानकारी हेतु अनिवार्य रूप से चिपकायी जाय तथा आशाओं को बैठक में इसकी जानकारी प्रति माह दी जाये।
4. **जिन आशाओं ने कम से कम प्रथम 7 दिन एवं 12 दिन का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, अथवा जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्ही आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय तथा भुगतान की गयी धनराशि प्रभारी चिकित्साधिकारी से वसूल कर ली जाय।**
5. सामान्यतः आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यो के लिये ही भुगतान किया जाय। विशेष परिस्थितियों में यथा आशा विहीन क्षेत्र/गाँव में किये गये कार्य के लिये प्रतिपूर्ति राशि अनुमन्य होगी।
6. **नसबन्दी कार्यक्रम/पल्स पोलियो को छोड़कर, आशाओं को कैश भुगतान न किया जाये अन्यथा सम्बन्धित लिपिक एवं प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।**
7. भुगतान वाउचर्स पुस्तिका एवं ब्लॉक स्तर पर आशाओं के भुगतान की जानकारी हेतु "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" की प्रिन्टिन्ग हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। आशाओं को किये जाने वाले भुगतान सम्बन्धी मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर प्रपत्र–2 (प्रोटोटाइप संलग्न) को एक बड़े रजिस्टर में तैयार किया जाय। साथ ही मास्टर पेमेन्ट की प्रति कम्प्यूटर में Excel Sheet में भी बना ली जाय जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। प्रत्येक माह "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" के अनुसार आशाओं के भुगतान की रिपोर्ट, प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र–2 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
8. वाउचर प्रपत्र (प्रारूप–1) एन0आर0एच0एम0 एडीशियनलटी मद से प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिये आशा द्वारा भरा जायेगा। शेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत निहित प्रतिपूर्ति राशि के लिये पूर्ववत उपलब्ध वाउचर/प्रारूप यथावत रहेंगे।
9. ब्लॉक स्तर के "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" के माध्यम से प्रभारी चिकित्साधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त किसी विशेष गतिविधि/कार्यक्रम में आशा द्वारा कार्य में सहयोग नहीं किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी, ऐसी दशा में सम्बन्धित कार्य पर आशा की क्षमतावर्द्धन की आवश्यकता हो सकती है, जिसके विषय में आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जाये। मासिक बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं।
10. किसी भी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बजट उपलब्ध होने की दशा में आशा का दो माह से अधिक बकाया भुगतान होने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। सम्बन्धित अधिकारी को सचेत किया जाये, यदि सुधार न हो तो कठोर कार्यवाही की जाये।
11. आशा भुगतान वाउचर्स के सत्यापन हेतु किये गये कार्य का विस्तृत विवरण ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर पर रखेगी अथवा सूचकांक रजिस्टर के अभाव में अलग से सभी कार्यो का विवरण अलग रजिस्टर पर रखेगी, जिसका सत्यापन सम्बन्धित ए0एन0एम0/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।
12. यदि किसी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ए0एन0एम0/ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करें।
13. ब्लॉक पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 स्तर पर आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु एक बड़ा "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" प्रभारी चिकित्साधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक की देख–रेख में सुरक्षित रखा जायेगा जिसमें मासिक तथा क्रमिक आधार पर ब्लॉक की समस्त आशाओं के भुगतान राशि का रिकार्ड रखा जाय।
14. जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें ब्लॉक पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि, पूर्व बकाया राशि की जानकारियाँ कम्प्यूटर पर प्रपत्र–3 के अनुरूप अंकित की जाये।
15. जिला स्तर पर प्रारूप–3 के माध्यम से नियमित रूप से योजना एवं भुगतान की वित्तीय प्रगति का आंकलन हो सकेगा कि किस मद में ब्लॉक पी.एच.सी. को धनराशि अवमुक्त करने की आवश्यकता है की जानकारी की जा सकती। राज्य स्तर से अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के लिये प्रारूप–3 को संलग्न कर अतिरिक्त धनराशि की माँग की जायेगी।
16. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा आशाओं का बाउचर्स प्रत्येक मासिक बैठक में एकत्रित करना सुनिश्चित करेंगे।
17. जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान हेतु आशा वाउचर्स एवं "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" छपवाकर आशाओं को एक माह के अन्दर वितरित करा दिया जाय। किसी भी दशा में निर्धारित वाउचर की फोटो कॉपी कराकर आशाओं को न दिया जाय। साथ ही निर्धारित वाउचर के प्रारूप मे किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाय ऐसा करना वित्तिय अनियमितता की श्रेणी मे गिना जायेगा। तथा सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
18. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर त्रैमासिक रूप से प्रपत्र–3 को राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के महाप्रबन्धक (कम्युनिटी प्रोसेस) को माह की 7 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
20. आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके। जहाँ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नहीं है तो वहाँ एन.आर.एच.एम. के द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी द्वारा अभिलेखों का रख–रखाव किया जायेगा।

5– वित्तीय व्यवस्था

1. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के लिये 6 मदों में आशाओं हेतु प्रतिपूर्ति राशि की स्वीकृति प्रदान की है जिसकी जनपद वार विवरण नीचे दी गयी तालिका में दी जा रही है।
2. भारत सरकार द्वारा भविष्य में जिन मदों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी उसकी जानकारी अलग से दी जायेगी।
3. आशाओं को उनके कार्य के अनुसार वाउचर प्रणाली के अनुसार धनराशि इलेक्ट्रानिकली स्थानान्तरित की जाय।
4. आशा प्रतिपूर्ति राशि की वित्तीय प्रगति मिशन फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड सं0 बी.1.1.3.5 में प्रत्येक माह अंकित कर भेजा जाय।
5. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 द्वारा आपत्ति की है, उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेब साइट पर उपलब्ध है।
6. आशाओं के भुगतान में वित्तीय अनियमितता के लिये सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– अनुश्रवण एव मूल्यांकन

नियमित रूप से जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम बनाकर आशाओं की बैठक में भाग लिया जाय। सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित समस्त वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाय एवं ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जाय। प्रारूप 3 पर नियमित रूप से वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया जाय तथा रिपोर्ट मुख्यालय पर भेजी जाय।

जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा आशा प्रतिपूर्ति राशि, जारी दिशा निर्देशानुसार भुगतान का सत्यापन कराया जाय तथा जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह की त्रैमासिक बैठक में सदस्यों को अवगत कराया जाय।

7– जनपदवार स्वीकृत धनराशि की तालिका निम्नवत् हैं।

Sr. No.	Districts	No. of ASHA	On taking complicated on pregnancy cases or New born cases to the health facility @ 150/- (upyp 3 cases/yr.) FMR CodeB1.1.3.5.1 Approved Amount 717.66 Lacs	Birth & Death registration (For 9 death/ ASHA FMR Code B1.1.3.5.3 Approved amount 260.41 Lacs (For 90% ASHAs)	TA/DA for attending monthly meeting FMR Code B1.1.3.5.5 Approved Amount 1856.81 Lacs (For 90% ASHAs)	Total
1	Agra	2806	1262700	454572	3030480	4747752
2	Aligarh	2805	1262250	454410	3029400	4746060
3	Allahabad	4371	1966950	708102	4720680	7395732
4	Ambedkar Nagar	2372	1067400	384264	2561760	4013424
5	Auraiya	1266	569700	205092	1367280	2142072
6	Azamgarh	3520	1584000	570240	3801600	5955840
7	Bagpat	933	419850	151146	1007640	1578536
8	Bahraich	3191	1435950	516942	3446280	5399172
9	Ballia	2919	1313550	472878	3152520	4938948
10	Balrampur	1979	890550	320598	2137320	3348468
11	Banda	1523	685350	246726	1644840	2576816
12	Barabanki	3258	1466100	527796	3518640	5512536
13	Bareilly	2903	1306350	470286	3135240	4911876
14	Basti	2323	1045350	376326	2508840	3930516

15	Bhadohi (Sant Ravidas Nagar)	1355	609750	219510	1463400	2292660
16	Sambhal	1776	799200	287712	1918080	3004992
17	Bijnor	3070	1381500	497340	3315600	5194440
18	Badaun	2563	1153350	415206	2768040	4336596
19	Bulandshahar	2291	1030950	371142	2474280	3876372
20	Chandauli	1953	878850	316386	2109240	3304376
21	Chitrakoot	852	383400	138024	920160	1441584
22	CSM Nagar	2250	1012500	364500	2430000	3807000
23	Deoria	2930	1318500	474660	3164400	4957560
24	Etah	1492	671400	241704	1611360	2524464
25	Etawah	1425	641250	230850	1539000	2411100
26	Faizabad	2556	1150200	414072	2760480	4324752
27	Farrukhabad	1497	673650	242514	1616760	2532924
28	Fatehpur	2311	1039950	374382	2495880	3910212
29	Firozabad	1664	748800	269568	1797120	2815488
30	G.B.Nagar	778	350100	126036	840240	1316376
31	Ghaziabad	688	309600	111456	743040	1164096
32	Ghazipur	3623	1630350	586926	3912840	6130116
33	Gonda	3186	1433700	516132	3440880	5390712
34	Gorakhpur	3603	1621350	583686	3891240	6096276
35	Hamirpur	1104	496800	178848	1192320	1867968
36	Hardoi	3550	1597500	575100	3834000	6006600
37	Hathras (Mahamayanagar)	1232	554400	199584	1330560	2084544
38	Jalaun	1381	621450	223722	1491480	2336652
39	Jaunpur	4145	1865250	671490	4476600	7013340
40	Jhansi	1260	567000	204120	1360800	2131920
41	JP Nagar	1419	638550	229878	1532520	2400948
42	Kannauj	1492	671400	241704	1611360	2524464
43	Kanpur Nagar	1686	758700	273132	1820880	2852712
44	Kanpur Dehat (Rama Bai Nagr.)	1700	765000	275400	1836000	2876400
45	Kashi Ram Nagar	1150	517500	186300	1242000	1945800
46	Kaushambi	1660	747000	268920	1792800	2808720
47	Kushinagar	3392	1526400	549504	3663360	5739264
48	Lakhimpur Kheri	3552	1598400	575424	3836160	6009984
49	Lalitpur	982	441900	159084	1060560	1661544
50	Lucknow	1551	697950	251262	1675080	2624292
51	Maharajganj	2666	1199700	431892	2879280	4510872
52	Mahoba	697	313650	112914	752760	1179324
53	Mainpuri	1562	702900	253044	1686960	2642904
54	Mathura	1788	804600	289656	1931040	3025296
55	Mau	1751	787950	283662	1891080	2962692
56	Meerut	1431	643950	231822	1545480	2421252
57	Mirzapur	2148	966600	347976	2319840	3634416
58	Moradabad	2218	998100	359316	2395440	3752856
59	Muzaffarnagar	2267	1020150	367254	2448360	3835764
60	Hapur	717	322650	116154	774360	1213164
61	Pilibhit	1426	641700	231012	1540080	2412792
62	Shyamli	1288	579600	208656	1391040	2179296

61	Pilibhit	1426	641700	231012	1540080	2412792
62	Shyamli	1288	579600	208656	1391040	2179296
63	Pratapgarh	3041	1368450	492642	3284280	5145372
64	Rae Bareli	2305	1037250	373410	2489400	3900060
65	Rampur	1705	767250	276210	1841400	2884860
66	Saharanpur	2695	1212750	436590	2910600	4559940
67	Sant Kabir Nagar	1586	713700	256932	1712880	2683512
68	Shahjahanpur	2597	1168650	420714	2804760	4394124
69	Shrawasti	1114	501300	180468	1203120	1884820
70	Siddharth Nagar	2393	1076850	387666	2584440	4048956
71	Sitapur	3944	1774800	638928	4259520	6673248
72	Sonbhadra	1548	696600	250776	1671840	2619216
73	Sultanpur	2556	1150200	414072	2760480	4324752
74	Unnao	2623	1180350	424926	2832840	4438116
75	Varanasi	2083	937350	337446	2249640	3524400
	Total	**159437**	**71746650**	**25828794**	**172191960**	**269767000**

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति, समस्त प्रभारी अधिकारियों को प्राप्त करा दें तथा इन निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का अन्य किसी मद में व्यय न किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्रांक–प0क0 / 08–प्रशि / 136–3 / vol–9 / 2013–14

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित– दिनांकः .08.2013

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक / जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
8. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपयुक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक,
परिवार कल्याण